न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

अपील संख्या 119/15

पीठासीन अधिकारी करतार सिंह पूनियाँ
RAS

1 हरलाल पुत्र श्री रामनिवास उम्र 35 वर्ष जाति जाट निवासी ग्राम सिंगरावट तहसील सीकर नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर राज0
अपीलांट

बनाम

1 गणपत उम्र 77 वर्ष पुत्र श्री नन्दाराम
2 पदमाराम पुत्र नारायण
3 लिछमणराम पुत्र नारायण
4 श्रीमती गंगा बेवाह नारायण
5 प्रहलाद पुत्र मोतीराम
6 सुभाष पुत्र मोतीराम
7 गीता देवी पत्नी श्री मोतीराम
8 भूराराम पुत्र नन्दाराम
9 सुखाराम पुत्र नन्दाराम
10 रामनिवास पुत्र नन्दाराम
11 मोहनराम (मृत) पुत्र नन्दाराम
11/1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व. मोहनराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

11/2 महावीर प्रसाद पुत्र स्व. मोहनराम

11/3 रामेश्वरी देवी पुत्री स्व. मोहनराम

11/4 इन्द्रा देवी पुत्री स्व. मोहनराम

11/5 सुनिता देवी पुत्री स्व. मोहनराम

11/6 संतोष देवी पुत्री स्व. मोहनराम

11/7 पतासी देवी पुत्राी स्व. मोहनराम

12 रामकुमार पुत्र श्री बालूराम

13 शान्ति देवी पत्नी श्री बालूराम

14 दुर्गा देवी पुत्री बालूराम

15 द्रोपती देवी पुत्री बालूराम

16 कौशल्या देवी पुत्री बालूराम

17 बिदामी देवी पुत्री नारायण

18 कमला देवी पुत्री मोतीराम

19 सोहनी देवी पुत्री मोतीराम

20 भगवानी देवी पुत्री मोतीराम

21 बबीता देवी पुत्री मोतीराम

22 बुगी देवी पुत्री मोतीराम समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम सिंगरावट तहसील सीकर नवसृजित तहसील धोद जिला सीकर राज0

23 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा सिंगरावट, तहसील सीकर नवसृजित तहसील धोद, जिला सीकर राज0 जरिये शाखा प्रबन्धक।

24 भूमिधारी तहसीलदार महोदय, सीकर नवसृजित तहसीलदार धोद, जिला सीकर राज0।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

रेस्पोंडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015
न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर
बउनवानी वाद गणपत बनाम पदमाराम आदि
मुकदमा नं. 122/2012

उपस्थिति

1. श्री भंवर लाल बिजांरिया अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री बनवारी लाल बरबड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 12 व 13
3. श्री महेश जांगिड़ अधिवक्ता रेस्पोडेंट
4. श्री विजय सिंह तंवर अधिवक्ता रेस्पोडेंट
5. श्री कैलाश स्वामी अधिवक्ता रेस्पोडेंट

– निर्णय –

दिनांकः– 23.08.2018

यह अपील विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर (द्वितीय) सीकर द्वारा वाद संख्या 122/2012 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगाय 21 की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की शामलाती कृषि भूमि खसरा नम्बर 9,337,53,54, 55, 56,100 कुल किता 7 कुल रकबा 7.75 हैक्टेयर वाके ग्राम सिंगरावट तहसील व जिला सीकर में रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मीटस एवं बाउन्डस विधिवत विभाजन एवं स्थाई निशेधाज्ञा का अनुतोष चाहते हुये वाद प्रस्तुत किया विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई दिनांक 03.06.2015 को प्राथमिक डिक्री दिनांक 03.07.2015 को विचाराधीन निर्णय से अंतिम

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

डिकी पारित कर दी। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई । विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मेमो के तथ्यों को दोहराते हुये तरक दिया की विचारण न्यायालय में प्राथमिक डिकी से पूर्व प्रकरण वादी रेस्पोडेंट संख्या 1 के काउन्टर जवाब की स्टेज पर लम्बित था। इसे दर किनार कर प्राथमिक डिकी एवं अंतिम डिकी पारित कर दी गई। जो पूर्णतया विधि विरूद्व है। प्रकरण में विधि अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नही हुये है प्रकरण में कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव नही दिये गये है। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान को सुनवाई का प्रयाप्त अवसर नही दिया है विचारण न्यायालय में विभाजन प्रस्ताव पर आपति भी नही ली गई है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया है कि विचारण न्यायालय में बाई मिटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचाराधीन अंतिम डिकी पारित की गई है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है अपीलांट विवादित भूमि में मूल खातेदार से भूमि कय कर केता सहखातेदार दर्ज हुआ है विभाजन के बाद में बाई मिटस एण्ड बाउन्डस अच्छी से अच्छी और बुरी से बुरी का समान रूप से विभाजन किया जाता है कब्जे काश्त अथवा सहखातेदार की इच्छानुसार विभाजन नही किया जाता है विचारण न्यायालय में केता द्वारा कोई विधिक आपत्ति प्रस्तुत नही की गई वादी अथवा शेष प्रतिवादीगण द्वारा विचाराधीन आदेश निर्णय के विरूद्व कोई अपील भी प्रस्तुत नही की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय का निर्णय व डिकी विधि सम्मत है अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एंव विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया विचारण न्यायालय में जारी प्राथमिक डिकी के विरूद्व इस न्यायालय में किसी भी पक्षकार द्वारा अपील प्रस्तुत कर प्राथमिक डिकी को चुनोति नही दी गई है। फलतः इस स्तर पर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सागर

केवल अंतिम डिक्री के सन्दर्भ में विचार किया जाना है। विचारण न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 22/अपीलांट की और से 17.08.2012 को श्री विजयराज एडवोकेट उपस्थित आये इससे स्पष्ट है विचारण न्यायालय में अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित थे। अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत नही की है अपितु अंतिम डिक्री के विरूद्व अपील प्रस्तुत की है। जिसमें अपीलांट का मुख्य तर्क यही रहा है कि अपीलांट को मौके पर कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव में भूमि नही दी गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत विभाजन प्रस्ताव में बाई मीटस एण्ड बाउन्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाते है कब्जे के अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार नही किये जाते है विचारण न्यायालय ने अपीलांट द्वारा इकबाली जवाब दावा प्रस्तुत किया गया है। कोई काउन्टर कलेम अपीलांट द्वारा पेश नही किया गया है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विवादित भूमि अविभाज्य सहखातेदारी काश्तकारी की है अपीलांट ने विवादित भूमि में एक सहकाश्तकार से कुछ हिस्सा क्रय किया है जिसमें सहकाश्तकार ने अपने हिस्से का बेचान किया है। विशेष भू–भाग का बेचान नही किया है ऐसी स्थिति में अपीलांट विशेष भू–भाग पर अपना कब्जा बताकर विभाजन करवाने का विधिक अधिकारी नही पाया जाता है।

विचारण न्यायालय में अपीलांट द्वारा जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर इकबाली जवाब दिया गया है इसके उपरान्त अपीलांट द्वारा न तो विभाजन प्रस्ताव के समय कोई आपत्ति की गई है न ही अन्य किसी पक्षकार वादी या प्रतिवादीगण द्वारा विचाराधीन अंतिम डिक्री को चुनौती दी गई है इससे स्पष्ट है कि विभाजन प्रस्ताव एवं अंतिम डिक्री से अपीलांट को छोड़कर शेष वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है।

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 03.07.2015 में हम कोई विधिक त्रुटि नही पाते है फलस्वरूप अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

23/8/18

(करतार सिंह पूनियाँ)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर